

संचिका सं०-10/गै.यो०-02-02/2017

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

21(10)क  
22/12/2017

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय आवंटनादेश संख्या-15(10)ब, दिनांक-12.12.2017 के कंडिका-1 के साथ संलग्न विवरणी में अपेक्षित संशोधन के उपरान्त निम्न रूप में पढा जाए:-

विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित अंधेपन की रोकथाम उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन ।

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	योग वेतन	विधि प्रभार (13-05)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मधेपुरा	1250000	1500000	250000	12500	3012500	-	3012500
2	मुंगेर	375000	450000	75000	7500	907500	-	907500
3	सारण (छपरा)	900000	1080000	180000	9000	2169000	-	2169000
4	बक्सर	140000	168000	28000	2800	338800	-	338800
5	पूर्णियां	740000	888000	148000	7400	1783400	-	1783400
6	सहरसा	210000	252000	42000	4200	508200	-	508200
7	दरभंगा	780000	936000	156000	7800	1879800	5000	1884800
8	किशनगंज	400000	480000	80000	8000	968000	-	968000
9	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	-	-	-	-	-	9000	9000
	<b>कुल</b>	<b>4795000</b>	<b>5754000</b>	<b>959000</b>	<b>59200</b>	<b>11567200</b>	<b>14000</b>	<b>11581200</b>

2. शेष बातें यथावत रहेगी ।

(सच्चिदानंद चौधरी)  
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक:-10/गै.यो०-02-02/2017 21(10)क /स्वा०, पटना, दिनांक:-22/12/2017

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले०एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन, मधेपुरा, मुंगेर, सारण (छपरा), बक्सर, पूर्णियां, सहरसा, दरभंगा, किशनगंज एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-10/आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव 21/12/17